

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
हमीरलाल पुत्र सांगाराम जाति नाई, निवासी खोडाल तहसील शिव, जिला बाड़मेर		अशोक कुमार पुत्र सांगाराम जाति नाई, निवासी खोडाल तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (05)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (212)

मुकदमा नम्बर 319 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.07.2025	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री उगमसिंह गहलोत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 01.08.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p>	
01.08.25	<p>पत्रावली पेशा प्रार्थी वकील उपस्थित। विजयशंकर के नोटिस व डिटेवी रिपोर्ट पेशा पत्रावली वास्ते विजयशंकर का इतजार होकर दिनांक 22.08.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p>	
22.8.25	<p>पत्रावली पेशा प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण का इतजार होकर दिनांक 26.9.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p>	
26.09.25	<p>पत्रावली पेशा प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते विजयशंकर संख्या 243 के जवाब हेतु दिनांक 9.10.25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p>	



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

30.04.26

पत्रावली नंबर वाकुलाय इपल्लित।
चूंकि इम्त आवेदन का मूल वाद
निर्णित हो चुका है। अतः मूल
वाद के निर्णित हो जाने से इम्त
आवेदन का कोई औचित्य एवं महत्व
नहीं होने से इम्त आवेदन इली
स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली नंबर से कम होकर
राखिल नम्बर हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)